न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 367/2020
जीसीएमएस सं. – 2020/00454

प्रार्थीगण :

1. सुशीला पत्नि बंशीलाल जाति माली निवासी अशोक नगर पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
2. बुद्धाराम पुत्र चन्दाराम
3. बद्रीराम पुत्र लाबूराम
4. इन्द्रादेवी पुत्री नारायणराम
5. कमली पत्नि नारायणराम
6. कुशालराम पुत्र नारायणराम
7. किरण पुत्री नारायणराम
8. किशोरराम पुत्र नारायणराम
9. कौशल्या पुत्री नारायणराम
10. गंगाराम पुत्र चन्द्राराम
11. दयाराम पुत्र जालाराम
12. पतासीदेवी पत्नि जालाराम (फौत) के कायम मुकाम –
    12/1 दयाराम पुत्र जालाराम
    12/2 माणकरराम पुत्र जालाराम
13. माणकराम पुत्र जालाराम
14. सुशीला पुत्री नारायणराम
15. सोहनलाल पुत्र लाबुराम जातियान माली निवासीगण सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर।
16. मोवनराम पुत्र जीयाराम
17. सीवकाराम पुत्र जीयाराम
18. भींयाराम पुत्र जीयाराम जातियान माली निवासीगण अशोकनगर पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर
19. कोचरी पत्नि लूणाराम
20. खींयाराम पुत्र लूणाराम
21. गणपत पुत्र लूणाराम

जातियान माली निवासीगण कृष्णा कोलोनी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. चम्पालाल पुत्र मोतीराम
2. ढगलाराम पुत्र मोतीराम
3. शेंषाराम पुत्र मोतीराम
4. निम्बुड़ी पत्नि मोतीराम (फौत) के कायम मुकाम–
   4/1 धापुदेवी पुत्री मोतीराम जातियान माली निवासीगण अशोकनगर पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थीगण की ओर से
श्री राजेन्द्र देवड़ा अप्रार्थी सं. 1 से 4

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

CamScanner

निर्णय

दिनांक : 25.01.2023

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम सिन्धीपुरा में प्रार्थी संख्या एक सुशीला की खरीदसुदा कब्जासुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 914 रकबा 0.6553 हैक्टेयर कृषि भूमि आई है। प्रार्थी संख्या दो से पन्द्रह की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 913 रकबा 0.5663 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थी संख्या सौलह की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 916 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 17 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 916/1 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 18 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 916/2 रकबा 0.2184 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 19, 20 व 21 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 915 रकबा 0.6068 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उक्त खेतों में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कट्टाणी रास्ता विद्यमान नहीं है। प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने हेतु कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 900 /1 से होकर रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 918 व 919 की मध्य मॉठ से होकर खसरा नम्बर 916, 916/1, 916 /2 व खसरा नम्बर 915 की मध्य मॉठ से होकर खसरा नम्बर 914 व 913 के पूर्वी सीमा से मिलता है उक्त रास्ता की चौड़ाई 20 फुट रखी जाये उक्त रास्ता को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त रास्ता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, वादग्रस्त रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही के मध्य मार्क अ, ब, स द से दर्शाया हुआ है जिस संलग्न नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावे। प्रार्थी संख्या 16, 17 व 18 अपने खेत खरारा नम्बर 916, 916/1. बु16/2 की दक्षिणी सीमा में से 10 फुट की चौड़ाई में वादग्रस्त रास्ता घोषित करने हेतु सहमत है एवं उक्त रास्ता हेतु भूमि बिना मुआवजा के समर्पण करने हेतु भी तैयार है। प्रार्थी संख्या 19 से 21 भी अपने खेत खसरा नम्बर 915 की उत्तरी सीमा में से 10 फुट चौड़ाई में वादग्रस्त रास्ता घोषित करने हेतु सहमत है एवं उक्त रास्ता हेतु भूमि बिना मुआवजा के समर्पण करने हेतु तैयार है। प्रार्थी संख्या 16 से 21 अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता घोषित करवाने हेतु सहमत है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। वादग्रस्त रास्ता ही ० सबसे सुलभतम एवं निकटतम रास्ता रहेगा इसलिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 918 व 919 में से बीच सीमा से 10–10 फुट की चौड़ाई में यानि 20 फुट चौड़ाई में रास्ता घोषित किया जावे एवं खसरा नम्बर 916, 916/1, 916 / 2 व खसरा नम्बर 915 के बीच सीमा से 10–10 फुट की चौड़ाई में यानि 20 फुट चौड़ाई में रास्ता घोषित किया जावे। प्रार्थीगण वादग्रस्त रास्ता की कीमती डी.एल.सी रेट अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
दीपक शहर (जोधपुर)

अप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तैयार है। प्रार्थी संख्या 16 से 21 अपने खेतों में से वादग्रस्त रास्ता घोषित करवाने हेतु सहमत है इसलिए वादग्रस्त रास्ता को राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जाकर तरमीम किया जाये। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 914, 913, 915, 916, 916/1, 916/2 आने जाने हेतु वादग्रस्त रास्ता मार्क अ, ब, स, द जो खसरा नम्बर 918 व 919 की मध्य मॉठ से एवं खसरा नम्बर 916, 916/1, 916/2, व खसरा नम्बर 915 की मध्य मॉठ से 20 फुट चौड़ाई में रास्ता घोषित फरमाया जावे व राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावें एवं नक्शे में वादग्रस्त रास्ता तरमीम किया जावें एंव अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त रास्ता हमेशा खुला रखे एवं वादग्रस्त रास्ता के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा व दखलअंदाजी उत्पन्न नही करे न ही किसी अन्य से करावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के पक्ष मे अता फरमावें ।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से वकील राजेन्द्र देवड़ा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्य को छुपाते हुए माननीय न्यायालय हाजा को गुमराह करने की चेष्टा की हैं। प्रार्थीगण के स्वयं के खेत खसरानम्बर 1108 रास्ता के चिपते स्थित है तथा गै.मु.रास्ता खसरा नम्बर 1108 से प्रार्थीगण स्वयं मोवनराम, भींयाराम के खेत खसरा नम्बर 909/1 मे से होकर भींयाराम आगे खसरा नम्बर 912 मे से होकर प्रार्थीगण सुशीला के खेत खसरा नम्बर 914 में से होकर भींयाराम के खेत खसरा नम्बर 916/2 तक रास्ता चलता है। इसलिए मौके पर धूम रास्ता होते हूए पूरब तरफ प्रार्थीगण नाजायज रूप से अप्रार्थीगण की भूमि खर्दु बुर्द करवाकर रास्ता घोषित करवाने के हकदार नही हैं। क्योकि प्रार्थीगण को रास्ता बाबत् कोई वाद कारण ही पैदा नही हुआ तथा प्रार्थीगण ने अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में रास्ता के लिए वादकारण तारीख समय का कोई अंकन नही किया जिससे भी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सर्वथा मिथ्या, सारहीन, तथ्यो पर आधारित होने से काबिल खारिज के हैं। प्रार्थना पत्र हर्जा सहित खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया हैं।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार मौका पर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 918 रकबा 240 वर्गमीटर, व खसरानम्बर 919 रकबा 240

खण्ड अधिकारी
... शहर (जोधपुर)

वर्गमीटर, खसरा नम्बर 915 रकबा 230 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 916 रकबा 77 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 916/1 रकबा 77 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 916/2 रकबा 77 वर्गमीटर इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते की भूमि का प्रत्येक खसरावार डी.एल.सी. दर की गणना करने पर निम्न अनुसार राशि होना पाया ।

खसरा नम्बर	रकबा	राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी	कुल देय
918	0.0240 हैक्टयर	369788 X 2	17750/-
919	0.0240 हैक्टयर	369788 X 2	17750/-
915	0.0230 हैक्टयर	369788 X 2	17010/-
916	0.0077 हैक्टयर	369788 X 2	5695/-
916/3	0.0077 हैक्टयर	369788 X 2	5695/-
916/2	0.0077 हैक्टयर	369788 X 2	5695/-

उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि डी.एल.सी.दर से गणना कर पालना रिपोर्ट तैयार की गई । उपस्थित पक्षकारान की मौजुदगी में मौका निरीक्षण किया गया जिसमें अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना पाया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जवाब वकील अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 914, 913, 916, 916/1, 916/2 व 915 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 918, 919, 915, 916, 916/3, 916/2 मे से सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार दिया जाना प्रस्तावित हैं।

अतः राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 914, 913, 916, 916/1, 916/2 व 915 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 918, 919, 915, 916, 916/3, 916/2 में तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट मार्क लाल स्याही से दर्शाये अनुसार कुल क्षेत्रफल 0.0941 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 369788/- की गणना से कुल मालियत राशि रूपये 69595/- बनती है, रास्ते के काम आयी कुल भूमि 0.0941 हैक्टयर भूमि की मालियत राशि रूपये 34798/- रूपये बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 69595/- रूपये बनती है। प्रार्थीगण राशि 69595/- रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावे ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 69595/- रूपये का चैक/ डी. डी. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जायें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर